

अग्रिम ऋण को अन्तम निकाली के रूप में बदलने के लिए आवेदन

1. अर्दाता का नाम

: श्री/श्रीमति

2. परनाम तथा कार्यालय का नाम

3. वेतन

4. भविष्य निधि का नाम तथा

: ₹0

प्रतिमास

5. आवेदन की तिथि को आने

में शेष राशि ₹1000000

अर्दाता को स्थिति में

अर्दाता के रूप में कटाई गई

राशि उस पर पिछले वाले

व्याज सहित

₹0

6. ₹1 अन्तम निकाली के रूप में

परिवर्तित की जाने वाली अग्रिम

की शेष राशि

₹1000000 राशि पर

7. ₹1 उदेश्य जिसके लिए

अग्रिम लिया गया है

₹1 अग्रिम के मुलान प्राप्त

को तिथि

8. ₹1 अग्रिम को राशि:

अग्रिम खिचकर करने वाले पत्र/

कार्यालय आदेश का विवरण :

9. उद्देश्यके लिए अग्रिम या अन्तम

निकाली ली गयी है, यदि ऐसा

है तो उसका विवरण

10. ₹1 इस आवेदन की तिथि को कुल

शेष राशि में अन्तराल समय

सहित, यदि कोई हो।

₹1 आवेदन की तिथि को शेष राशि

में रहने वाला शेष समय

स्थान :  
तिथि :  
संख्या :

आवेक के हस्ताक्षर

दिनांक :

उपरोक्त सभी विवरणों को सत्यता को जांच कर ली गयी है।

सत्यापित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर व परनाम

कृ. पू. उ.

उपरोक्त सभी विवरणों की जांच कर ली गयी है।

सामान्य भविष्य निधि (के.से.) नियमावली 1960 के नियम 16 ए के अन्तर्गत अग्रिम की शेष राशि रु0..... को अन्तिम निकासी के रूप में परिवर्तित किये जाने

की विशेष स्वीकृति अपेक्षित है।

प्र0 लिपिक (देयक)

लेखा अधिकारी

स्वीकृत

निदेशक